

# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

Ph. 9518066400

सं:सी.एस.एफ./6-16/कृषि/2018/

दिनांक: 01-5-2018

## निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, 10 कि०मी०, सिरसा रोड, हिसार पर तीनों खण्डों के सभी चकों पर निम्न कृषि कार्य हेतु निविदाएं दिनांक 22-5-2018 को अपराह्न 2.30 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्रत्येक बोलीदाता को निविदा देने से पूर्व धरोहर राशि के रूप में प्रत्येक चक के लिये रुपये 5,000/- का डी०डी० **National Seeds Corporation Limited, Hisar** के नाम बनवाकर फार्म के खजांची के पास जमा करवाने होंगे जो कि असफल बोलीदाता को चैक के रूप में लौटा दिये जायेंगे। यदि किसी कारण उपरोक्त तिथि पर निविदा असफल होती है तो दोबारा निविदाएं दिनांक 29-5-2018 को ली जायेंगी। कार्य का विवरण व ठेके की शर्तें बोली से पहले इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

क्र.स	कार्य का विवरण	
1	कच्चे नाले की सफाई करना	दर प्रति मीटर
2.	पक्के नाले की सफाई करना	दर प्रति मीटर
3.	स्प्रे करना - हाथ से	दर प्रति एकड़
4.	स्प्रे करना - फार्म मशीन से	दर प्रति एकड़
5.	खाद फार्म के वाहन में लोड करके फास में डालना	दर प्रति एकड़
6.	सिंचाई करना	दर प्रति एकड़
7.	प्लेवा व पहली सिंचाई करना, बट सिरे से मिलाना	दर प्रति एकड़
8.	गेहूँ व अन्य फसलों में पाईप के माध्यम से स्प्रे करना	दर प्रति एकड़
9.	बीज को फार्म वाहन में ट्रीट करके सीड ड्रिल में डालना व बुआई करना	दर प्रति एकड़
10.	मूंग, उरद, कपास, चना, मसूर, मटर व अन्य फसलों में कसौले से गुड़ाई करना	दर प्रति एकड़
11.	मूंग, उरद, कपास, चना, मसूर, मटर व अन्य फसलों में बैलों से गुड़ाई करना	दर प्रति एकड़
12.	कपास व अन्य फसलों में से अतिरिक्त पौधों को उखाड़कर बिरला करना (Thinning)	दर प्रति एकड़
13.	कम्बाईन से कटी फसल की मोपिंग करना	दर प्रति एकड़
14.	फसलों में रोगिंग करना	दर प्रति एकड़

उपरोक्त कार्यों की दरें 1st जुलाई 2018 से 30<sup>th</sup> जून 2019 तक लागू रहेंगी।

प्रबंधक(उत्पादन)  
कृते उप महा प्रबंधक (फार्म)

वितरण

सेवा में,

निदेशक,

केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार।

श्री मान् जी,

निवेदन है कि मैं आपके फार्म पर निम्न कृषि कार्यों को करने का ठेका लेना चाहता हूँ जिसके लिये कार्य-वार दरें नीचे दी गई हैं। मुझे फार्म की सभी शर्तें मन्जूर हैं तथा मैंने शर्तों पर हस्ताक्षर भी कर दिये हैं। धरोहर राशी के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट न० \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ रुपये \_\_\_\_\_ का संलग्न है।

क्रस	कार्य का विवरण	दर
1	कच्चे नाले की सफाई करना	दर प्रति मीटर
2.	पक्के नाले की सफाई करना	दर प्रति मीटर
3.	स्प्रे करना - हाथ से	दर प्रति एकड़
4.	स्प्रे करना - फार्म मशीन से	दर प्रति एकड़
5.	खाद फार्म के वाहन में लोड करके कास में डालना	दर प्रति एकड़
6.	सिंचाई करना	दर प्रति एकड़
7.	प्लेवा व पहली सिंचाई करना, बट सिरे से मिलाना	दर प्रति एकड़
8.	गेहूँ व अन्य फसलों में पाईप के माध्यम से स्प्रे करना	दर प्रति एकड़
9.	बीज को फार्म वाहन में ट्रीट करके सीड ड्रिल में डालना व बुआई करना	दर प्रति एकड़
10.	मूंग, उरद, कपास, चना, मसूर, मटर व अन्य फसलों में कसौले से गुड़ाई करना	दर प्रति एकड़
11.	मूंग, उरद, कपास, चना, मसूर, मटर व अन्य फसलों में बैलों से गुड़ाई करना	दर प्रति एकड़
12.	कपास व अन्य फसलों में से अतिरिक्त पौधों को उखाड़कर बिरला करना (Thinning)	दर प्रति एकड़
13.	कम्बाईन से कटी फसल की मोपिंग करना	दर प्रति एकड़
14.	फसलों में रोगिंग करना	दर प्रति एकड़

भवदीय

ठेकेदार के हस्ताक्षर  
नाम व पता

-----  
-----  
-----

मोबाइल न०-----

बैंक खाता न०-----

आईएफएससी कोड न०-----

पैन न० -----

# राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

## केन्द्रीय राज्य फार्म: हिसार

### फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों को ठेके पर कराने के लिये नियम व शर्तें

दिनांक 22-5-2018

1. यह ठेका एक वर्ष के लिये होगा। प्रत्येक चक के लिये धरोहर राशी रुपये 5000/- होगी जो कि सफलतापूर्वक/ संतोषजनक ढंग से ठेका/ कार्य पूर्ण होने पर बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
2. प्रक्षेत्र का अंकित क्षेत्रफल अंतिम रूप से सही माना जायेगा। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह बोली देने से पूर्व अपनी शंका का समाधान करा सकता है। बोली के बाद किसी का कोई तर्क मान्य नहीं होगा।
3. मजदूरों का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा व उन्हें कार्य स्थल पर लाने व ले जाने की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी। सम्बन्धित ठेकेदार यदि समय पर खण्ड प्रभारियों की मांग अनुसार मजदूर उपलब्ध नहीं कराता है या कार्य करने में असफल रहता है तो उसकी धरोहर राशी जब्त की जा सकती है।
4. प्रक्षेत्र में ठेकेदार के आदमियों / मजदूरों द्वारा यदि कोई गैर कानूनी कार्य, निगम सम्पत्ति को नुकसान या चोरी आदि करने पर ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। कानूनी कार्यवाही के साथ-2 नुकसान की भरपाई ठेकेदार से की जायेगी।
5. ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराये गये श्रमिक ठेकेदार के दायित्व पर कार्य करेंगे व उनके हर प्रकार के लाभ हानि की जिम्मेवारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
6. ठेकेदार द्वारा लगाए गए मजदूरों के वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। हरियाणा सरकार द्वारा घोषित की गई दरों के आधार पर मजदूरों का भुगतान करना होगा। प्रत्येक ठेकेदार को प्रत्येक बिल पर प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा लगाए गये मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है। फार्म इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा।
7. श्रम अधिनियम के सभी उपबन्धों की पालना करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। किसी अधिनियम के उल्लंघन की सूत्र में फार्म जिम्मेदार नहीं होगा।
8. भविष्य निधि अधिनियम और ई0एस0आई0 के उपबन्धों के पालन करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। यदि वह उसका पालन नहीं करता है तो वह स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा।
9. ठेकेदार कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति/ संदिग्ध व्यक्ति को मजदूर के तौर पर नहीं लगायेगा व कार्य फार्म के चक प्रभारी/ खण्ड प्रभारी के निर्देशानुसार ही करेगा।
10. फार्म पर खड़ी फसल या सम्पत्ति को ठेकेदार या उसके आदमियों द्वारा नुकसान पहुंचाने पर फार्म प्रमुख द्वारा गठित समिति (जिसमें ठेकेदार या उसका प्रतिनिधि शामिल हो सकता है) नुकसान का आंकलन करेगी तथा समिति की रिपोर्ट के अनुसार फार्म का जो नुकसान होगा उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी। यदि ठेकेदार या उसके आदमी आंकलन के समय उपस्थित नहीं रहता है तो समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी और ठेकेदार को वह रिपोर्ट मान्य होगी।
11. ठेकेदार के बिल का भुगतान उसके बैंक खाते में किया जायेगा इसलिये ठेकेदार को खाता न0 (Bank Account No.) व स्थाई खाता संख्या (पेन) तथा EPF& ESI Registration (पंजीकरण) की कापी फार्म को देना अनिवार्य होगा। आयकर अधिनियम के अनुसार टैक्स की कटौती बिल में से की जाएगी।
12. नहर में पानी उपलब्ध होने पर ठेकेदार दिन/रात यानि 24 घण्टे पानी लगाने की व्यवस्था करेगा। ठेकेदार पानी का सदुपयोग सही ढंग से करेगा। यदि ठेकेदार पानी बरबाद करता है या ज्यादा पानी से फसल को नुकसान होता है तो उस मद् में फार्म को जो हानि होगी उसकी भरपाई ठेकेदार के बिल में से कर ली जाएगी।
13. फसलों में पानी लगाते समय मजदूर कार्य स्थल को छोड़ कर नहीं जायेगा तथा समय समय पर मोगा व खाला चैक करेगा ताकि कोई मोगा बन्द न कर जाये या खाला टूट न जाये।

14. आवश्यकतानुसार सभी कार्यों के लिये मजदूर उपलब्ध करवाने होंगे क्योंकि एक ही समय पर कई कार्य करने होंगे ।
15. उपरोक्त कार्य का ठेका ग्रीष्म-खरीफ-2018 व खरी 2018-19 अर्थात 1st जुलाई 2018 से 30<sup>th</sup> जून 2019 तक के लिये होगा ।
16. मजदूरों को कीटनाशक दवाईयों से बचाने हेतु ठेकेदार को स्वयं उचित प्रबंध करने होंगे यदि फिर भी किसी मजदूर को कीटनाशक दवाईयों से कोई समस्या आती है तो उसका समाधान स्वयं ठेकेदार को करना होगा ।
17. आवश्यकतानुसार एरिया कम या ज्यादा किया जा सकता है । यदि इस दौरान किसी चक का कार्य ठेके पर दिया जाता है तो उस चक पर कार्य नहीं कराया जायेगा और धरोहर राशी वापिस कर दी जायेगी ।

### आरबीट्रेशन

इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, केन्द्रीय राज्य फार्म, हिसार तथा ठेकेदार के बीच किसी प्रकार के वाद-विवाद की स्थिति में दोनों पक्ष पारस्परिक विचार विमर्श से सुलझाने का प्रयास करेंगे तथा विवाद नहीं सुलझाने की स्थिति में मामले का समाधान / निपटारा Arbitration & Conciliation Act 1996 की प्रक्रिया के तहत किया जायेगा तथा एकल विवाचन (Arbitration) की नियुक्ति सक्षम अधिकारी/ अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक सीएमडी, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा इसी अधिनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार होगी। विवाचन का फैसला अन्तिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा । किसी भी विवाद में पक्षकारों के लिये यह आवश्यक होगा कि न्यायालय की शरण लेने से पहले विवाचन (Arbitration) के माध्यम से अपने विवादों का समाधान कराये । विवाचन (Arbitration) का स्थान हिसार होगा तथा न्यायालय क्षेत्राधिकारी के उद्देश्य से केवल हिसार स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार ही पक्षकारों पर लागू होगा ।

प्रबंधक (उत्पादन)

मैने उपरोक्त फार्म पर विभिन्न कृषि कार्यों के ठेके की सभी नियम व शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मै ठेका आंबटित होने की स्थिति में उक्त कथित नियम व शर्तों की अनुपालना करने को तैयार हूं ।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

नाम \_\_\_\_\_

पता \_\_\_\_\_

फोन न० \_\_\_\_\_

पैन न० \_\_\_\_\_

बैंक खाते का विवरण \_\_\_\_\_

IFSC Code No. \_\_\_\_\_